राजभवन परिपत्र – महत्वपूर्ण

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक एफ.1(30) आरबी/2018/5397 दिनांक 4 जुलाई, 2018

परिपत्र

विषय :– राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक उत्कृष्टता के संबंध में निर्देश

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण में सुधार हेतु राजभवन द्वारा अनेक निर्देश जारी किये गये हैं तथा कुलपति समन्वय समिति की बैठकों में इन बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिये गये हैं जिन पर विश्वविद्यालयों द्वारा उचित कार्यवाही की जाकर लागू किया जाना अपेक्षित था।

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण में गत तीन वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथापि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें उत्कृष्टता के नवीनतम मानदंडों को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है तथा इस हेतु अनवरत प्रयास किये जाते रहने चाहिए।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा पूर्व में समय–समय पर जारी निर्देशों को सम्मिलित करते हुए निर्देशित किया गया है कि समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समुचित मनन किया जाकर व्यवस्था सुधार की दृष्टि से ठोस कार्यवाही अमल में लाई जावे :

1. **शोध कार्यों में गुणवत्ता** :– राजभवन के पत्र क्रमांक एफ.1(46)(सी)/आरबी/2015/3281 दिनांक 21.04.2017 के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाकर विस्तृत निर्देश जारी किये गए थे। विश्वविद्यालयों की उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण मानकों में से शोध की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण घटक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा कराई गई विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत नीचे है जो गंभीर चिंता का विषय है।

उक्त स्थिति में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय अपने शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार लावें। शोध की गुणवत्ता का एक प्रमुख आधार शोध पत्रों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशन होना है। इन प्रकाशनों से विश्वविद्यालय में चल रहे शोध की गुणवत्ता को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है तथा विश्वविद्यालयों की पहचान बनती है। समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा यह प्रयास किये जाने चाहिए कि उनके शोध कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार हो तथा शिक्षकों व शोध विद्यार्थियों के शोध पत्रों का ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं, जर्नल्स में अधिकाधिक प्रकाशन हो तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के सकल शोध–पत्र प्रकाशन की संख्या में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की भागीदारी में बढ़ोतरी हो। शोध के संबंध में यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित प्लेटफार्म्स जैसे शोधगंगा आदि पर समस्त शोध कार्य को उपलब्ध करावें जिससे अन्य विश्वविद्यालय, विद्यार्थी–शिक्षक, विभाग एवं संस्थाऐं शोध के परिणामों से लाभान्वित हों।

2. **<u>पाठ्यक्रमों की समीक्षा</u>** – पाठ्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा के संबंध में राजभवन द्वारा पत्र क्रमांक 598 दिनांक 24.01.2017 द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं। उक्त निर्देशों की निरन्तरता में विश्वविद्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि विषय पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया जाये जिससे विद्यार्थियों में बेहतर समझ विकसित हो ताकि वे पाठ्यक्रम विशेष में एक विद्यार्थी के रूप में अपने उत्तरदायित्व को उचित प्रकार से समझ सकें। पाठ्यक्रम इस प्रकार से डिजाइन किये जाने चाहिए कि वे विद्यार्थियों को यह समझने में सक्षम बनावें कि विद्या सीखने की प्रक्रिया के दौरान विषय विशेष में विद्यार्थियों से क्या अपेक्षित है तथा विद्यार्थी उक्त विषय/पाठ्यक्रम से क्या अपेक्षा रखते हैं। विषय/पाठ्यक्रम के संबंध में विद्यार्थियों की समझ एवं अग्रिम जानकारी उनकी सफलता का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। अतः विश्वविद्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि पाठ्यक्रम समीक्षा समिति की निर्धारित समय पर नियमित रूप से बैठकें की जावें तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि पाठ्यक्रम अद्यतन समीचीन एवं विद्यार्थियों को सीखने की अभिरूचि की ओर प्रेरित करने वाला हो।

पाठ्यक्रम का निर्धारित अवधि में विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशन किया जावे। विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाये जाने वाले टॉपिक्स/विषय की कक्षा से पूर्व जानकारी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी तैयारी के साथ कक्षा में उपस्थित हों। इस हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथासमय टॉपिक एवं कालांशवार समय–सारिणी प्रकाशित की जा सकती है। कक्षाओं के उपरान्त विद्यार्थियों के लिए शंका निवारण सत्र (डाउट सेशन्स) का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों द्वारा विषय से संबंधित शंकाओं का निराकरण अध्यापकों से कराया जा सके। शैक्षणिक सत्र के दौरान निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए त्रैमासिक आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि परीक्षाओं से पर्याप्त समय पूर्व पाठ्यक्रम पूर्ण हो जावे जिससे विद्यार्थियों को विषय को सीखने–समझने, रिवीजन तथा शिक्षकों को फीडबैक के लिए समुचित समय मिल सके।

3. **बायोमैट्रिक उपस्थिति** – राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, संघटक एवं संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के लिए बायोमैट्रिक पद्धति से आने एवं जाने के समय उपस्थिति दर्ज किये जाने के संबंध में राजभवन द्वारा विस्तृत निर्देश पत्रांक एफ.1(29)आरबी/2015/3989 दिनांक 19.06.2015, क्रमांक 4185, दिनांक 25.06.2015 एवं क्रमांक एफ.1(11)आरबी/2015/4311, दिनांक 1.7.2015 एवं 5971 दिनांक 27.8.2015 द्वारा जारी किये हुए हैं। देखने में आया है कि कतिपय विश्वविद्यालयों में बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है अथवा बायोमैट्रिक मशीन ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो रही है। अतः बायोमैट्रिक उपस्थिति की पूर्ण तथा निरन्तर पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु उक्त व्यवस्था की विश्वविद्यालय स्तर पर पुनः समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय वर्तमान स्थापित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय के समस्त विभागों, समस्त संघटक एवं संबद्ध महाविद्यालयों में समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिक आने एवं जाने के निर्धारित समय पर बायोमैट्रिक पद्धति से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के दूसरे चरण में प्रभावी अनुश्रवण की दृष्टि से उक्त उपस्थिति प्रणाली को एकीकृत सिस्टम पर शिफ्ट करें अर्थात् बायोमैट्रिक सिस्टम को एक सेंट्रल सर्वर पर संधारित किया जाये। बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे। इस संबंध में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मासिक रूप से राजभवन को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाये ।

4. <u>विद्यार्थियों की उपस्थिति</u> – समय–समय पर आयोजित कुलपति समन्वय समिति की बैठकों तथा विभिन्न परिपत्रों द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा न्यूनतम उपस्थिति संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं, परन्तु यह देखने में आ रहा है कि छात्रों की उपस्थिति के संबंध में अपेक्षा अनुसार सुधार नहीं हुआ है। पूर्व निर्देशों के क्रम में समस्त विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु पूर्व निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे जिसमें नियमित रूप से कक्षाओं का आयोजन, छात्रों की मासिक उपस्थिति रिपोर्ट छात्र एवं उनके परिजन को डाक/ई–मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित करना तथा विश्वविद्यालय वेबसाईट पर कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की नियमित सूचना प्रकाशित करना, न्यूनतम उपस्थिति संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना, किसी अध्यापक के अवकाश पर रहने पर अध्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कालांश रिक्त ना जावे जिससे विद्यार्थियों का समय व्यर्थ ना जावे तथा वे परिसर में अनावश्यक इधर–उधर ना घूमें। विश्वविद्यालय कक्षाओं में उपस्थिति के संबंध में विद्यार्थियों की अभिरूचि बढ़ाने हेतु अपने स्तर पर नवाचार भी प्रयोग में लावें। कुलपतिगण से अपेक्षा है कि वे कक्षाओं में विद्यार्थियों व अध्यापकों की उपस्थिति समय–समय पर स्वयं निरीक्षण कर सुनिश्चित करें एवं इसकी मासिक रिपोर्ट राजभवन को प्रेषित करें।

5. **<u>प्लास्टिक मुक्त एवं हरा–भरा, स्वच्छ परिसर</u>** – विश्वविद्यालय परिसर को हरा–भरा एवं स्वच्छ तथा धूम्रपान मुक्त किये जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं। इस कम में पुनः विश्वविद्यालय इस दिशा में गम्भीरता से कार्यवाही कर विश्वविद्यालय, संघटक एवं संबद्ध महाविद्यालयों में आगामी वर्षा ऋतु के दौरान सघन वृक्षारोपण करावें तथा यह सुनिश्चित करें कि रोपित वृक्षों की पूर्ण सुरक्षा की जावे। परिसर के समस्त मार्ग एवं फुटपाथ सघन वृक्षों से आच्छादित हों तथा खुले स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाये जाकर सुरम्य उद्यान एवं हरित क्षेत्र विकसित किये जावें।

इसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत समस्त परिसर को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा बनाया जाये । पर्याप्त मात्रा में उचित स्थानों पर कूड़ा पात्र स्थापित किये जायें एवं नियमित रूप से उनकी सफाई सुनिश्चित की जावे। सम्पूर्ण परिसर एवं भवनों में शौचालयों की उपलब्धता एवं नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था की जावे। परिसर को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए कड़े नियम बनाये जाकर पालना सुनिश्चित की जावे। सम्पूर्ण परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से निगरानी तंत्र विकसित किया जावे जिससे परिसर में अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाई जाकर स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके।

विश्व पर्यावरण दिवस 2018 अभी हाल ही में 05 जून को मनाया गया है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम "बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन" रखी गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिपत्र दिनांक 18.05.2018 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं। समस्त विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा जारी उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए सिंगल–यूज प्लास्टिक को तुरन्त निषेध किया जाकर स्वप्रेरणा से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाये जाने हेतु संकल्प लेते हुए प्रभावी कार्यवाही अमल में लावें जिससे एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जा सके।

विश्वविद्यालय के समस्त भवनों एवं सम्पूर्ण परिसर का आच्छादन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु

कार्ययोजना बनाई जाकर लागू की जावे तथा प्रगति रिपोर्ट मासिक आधार पर राजभवन को प्रस्तुत की जावे।

6. **स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था–** सम्पूर्ण परिसर में विद्यार्थियों, कार्मिकों एवं आगन्तुकों हेतु स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जावे। स्वच्छ पेयजल हेतु वाटर प्यूरीफायर/आर.ओ. तथा वाटर कूलर्स की स्थापना तथा उचित संधारण की व्यवस्था की जावे जिससे विद्यार्थियों, कार्मिकों एवं आगन्तुकों को कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इससे परिसर में प्लास्टिक बोतलों एवं गिलासों के उपयोग में कमी आयेगी जो प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने में सहयोगी होगी।

कुलपतिगण से अपेक्षित है कि वे कम से कम मासिक आधार पर विश्वविद्यालय परिसर का स्वयं भ्रमण करें तथा इस संबंध में रजिस्ट्रार व वित्त नियंत्रक को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जावे जो नियमित रूप से सम्पूर्ण परिसर का भ्रमण कर उपरोक्तानुसार व्यवस्थाओं के समुचित संधारण का अनुश्रवण करें।

7. **गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत** – कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21.07.2016 में यह निर्णय लिया गया था कि समस्त विश्वविद्यालय स्वच्छ ऊर्जा एवं ऊर्जा क्षेत्र में आत्म निर्भरता की नीति के अनुरूप गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का विकास करेंगे जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में प्रशंसनीय कार्य किया गया है परन्तु अधिकांश विश्वविद्यालयों के स्तर पर इस दिशा में अपेक्षा अनुसार प्रगति प्राप्त नहीं की गई है। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त विश्वविद्यालय अपने परिसर में गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से अपनी विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सौर ऊर्जा/पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करें। इस कार्य हेतु राज्य सरकार की संस्थाओं यथा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कार्पोरेशन की सलाह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई

जा कर राज्य/केन्द्र सरकार की अनुदान योजनाओं अंतर्गत उक्त संयंत्रों की स्थापना कराई जा सकती है।

8. **छात्रावास** – कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 15.05.2015 में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने निर्देश प्रदान किये थे कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रावासों में केवल पात्र विद्यार्थियों को ही निवास करने की अनुमति दी जावे तथा अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में ली जावे। उक्त निर्देशों की निरन्तरता में विश्वविद्यालय प्रबन्धन छात्रावासों की व्यवस्थाओं में सुधार एवं छात्रावासों के समुचित संधारण हेतु भी उचित कदम उठावें। यह देखा जाये कि छात्रावास भवनों का समुचित रूप से संधारण किया जा रहा है तथा विद्यार्थियों को उचित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; मैस में भोजन पौष्टिक व स्वरूचिपूर्ण है तथा गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है तथा किचन एवं भोजनालय की साफ–सफाई व हाईजीन के उच्चतम मानकों का पालन किया जा रहा है; महिलाओं हेतु छात्रावासों में महिला वार्डन नियुक्त हैं तथा महिला छात्रावासों में सुरक्षा एवं भयमुक्त वातावरण हेतु समुचित व्यवस्थाऐं की हुई हैं। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा छात्रावासों/मैस का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा मैस में भोजन की गुणवत्ता की निरन्तर जांच की जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि छात्रावासों हेतु बनाये गये नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस संबंध में छात्रावासों के वार्डन समय–समय पर औचक निरीक्षण कर विद्यार्थियों को व्यवस्थित जीवन शैली एवं छात्रावास परिसर में व्यवस्थित कक्षों यथा किताबें, सफाई एवं अन्य सामग्री आदि व्यवस्थित रूप से रखे जाने के महत्व को समझायें। इस प्रकार के नियमित अनुश्रवण से विद्यार्थियों में व्यवस्थित जीवन शैली के संस्कार आजीवन बने रहेंगे।

9. **अकादमिक एवं अवकाश कलेन्डर** – राजभवन द्वारा पत्र क्रमांक 4736–39 व 4740–43 दिनांक 12.6.2018 द्वारा राज्य के सामान्य विश्वविद्यालयों हेतु अकादमिक एवं

अवकाश कलेन्डर घोषित किया गया है। संबंधित कुलपतिगण यह सुनिश्चित करें कि राजभवन द्वारा जारी उक्त अकादमिक एवं अवकाश कलेन्डर की अक्षरशः पालना की जावे तथा अवकाश कलेन्डर में घोषित कार्यदिवस एवं कार्यसमय के अनुरूप विश्वविद्यालय में कार्यव्यवस्था की जावे। अकादमिक कलेन्डर के अनुरूप प्रवेश से लेकर परीक्षा परिणाम संबंधी अकादमिक गतिविधियों को कलेन्डर के अनुरूप नियत समय पर सम्पादित किया जावे।

10. **महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती पर समारोह कर आयोजन**– समय–समय पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा यह मंशा जाहिर की गई है कि विभिन्न महापुरूषों की जयन्तियों के अवसर पर शैक्षणिक संस्थाओं में महापुरूष की जीवनी से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जावे जिससे विद्यार्थियों को महापुरूषों के आदर्शों एवं उनके जीवन दर्शन की जानकारी प्राप्त हो तथा उक्त उच्च आदर्शों व दर्शन को विद्यार्थी अपने जीवन में अंगीकृत कर एक सुसंस्कृत एवं संभ्रान्त समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करें।

इस वर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती मनाई जायेगी। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि महात्मा गांधी जी की जीवनी एवं दर्शन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम समारोहपूर्वक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के स्तर पर आयोजित किये जावें जिनमें "गांधी को जानो", गांधी दर्शन से संबंधित मनोरंजक लघु नाटिकाओं एवं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, गांधी विचार दर्शन के समावेश हेतु एक पृथक पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से रखा जाना, युवाओं के लिए विभिन्न साहसिक चुनौतीपूर्ण यात्राओं जिन्हें "गांधी साहस यात्रा/आरोहण" का नाम दिया जा सकता है का आयोजन करना, विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों एवं स्टेश्नरी में गांधी दर्शन/कोटेशन्स को मुद्रित किया जाना, विश्वविद्यालय की वेबसाईट व सोशल मीडिया पर गांधी जी के जीवन आदर्शों का प्रचार, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में गांधी

डेस्क/गांधी परिचय केन्द्र की स्थापना करना जिस पर गांधी जी से संबंधित पुस्तकें एवं साहित्य उपलब्ध कराया जाना आदि हैं।

11. **स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव अंतर्गत प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट (Impact Assessment Report):–** माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के तहत राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में पिछड़े हुए गाँवो को गोद लेकर उन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार प्रथम चरण में गोद लिये गये गॉवों को 2 वर्ष 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर एक नया गाँव गोद लिया जाकर उसे स्मार्ट विलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की जावे। प्रथम चरण में गोद लिये लगभग सभी गाँवों को ढाई वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रथम चरण में गोद लिये गाँवो में कराये गये विकास कार्यो से ग्रामवासियों के जीवन स्तर में हुए सुधार का मूल्यांकन कराया जाना अपेक्षित है। अतः समस्त कुलपतिगण स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के तहत प्रथम चरण में गोद लिये गये गाँवों में ग्रामवासियों के जीवन स्तर में आए परिवर्तन/सुधार के संबंध में एक प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट जिसमें ग्रामवासियों के सामाजिक, आर्थिक, कृषि उपज, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क निर्माण, दूरसंचार सुविधाएं, बैंकिंग एवं डाक आदि मूल–भूत सुविधाओं में हुए सुधार का विवरण अंकित हो, तैयार कर एक माह की अवधि में राजभवन को प्रस्तुत करें। कुलपतिगण वर्ष में दो बार गोद लिये गाँवों में वरिष्ठ प्रोफेसर, प्रोफेशनल्स, संबंधित अधिकारियों व कुछ छात्र–छात्राओं के साथ गाँवों का भ्रमण करें तथा प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट (**Impact Assessment Report**) तैयार कर उस पर फीडबैंक लेवें।

12. **स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव अंतर्गत तालाब निर्माण एवं जल संरक्षण के प्रभाव (Impact) एवं मूल्यांकन (Evaluation) का अध्ययन** :– जल स्त्रोतों के सृजन एवं संरक्षण किये जाने के उद्देश्य से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिये गाँवों में वर्षा जल के भण्डारण हेतु जिला प्रशासन के

सहयोग से तालाब/जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया गया है। विश्वविद्यालयों द्वारा गाँवों में किये गये इन जल संरक्षण प्रयासों का ग्रामीणों की पेयजल/कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति एवं भू–जल स्तर पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करने हेतु एक प्रभाव मूल्यांकन प्रपत्र तैयार कर विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया गया था। समस्त विश्वविद्यालय उस संबंध में तैयार किये गये उक्त प्रपत्र की पूर्ति कर हर माह की 30 तारीख तक राजभवन को भिजवावें ताकि निर्माण का ग्रामवासियों की जल आवश्यकताओं पर पड़े सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। नवीन गोद लिये गाँवों में वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण हेतु पूर्व में कराये गए तालाब निर्माण की क्षमता में बढ़ोतरी अथवा नये तालाबों के निर्माण की आवश्यकता का आकलन किया जाकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा मनरेगा के प्रावधानों एवं नार्म्स अंतर्गत अविलम्ब तालाब विस्तार/निर्माण कार्यों को स्वीकृत कराया जाकर शीघ्र पूर्ण कराया जाना चाहिए। तालाब की मिट्टी का अच्छे से जमावन (Compaction) किया जाकर वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से सघन वृक्षारोपण होने से ये तालाब एक स्थाई एवं सतत परिसंपत्ति बन सकेगें। सुलभ संदर्भ हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मॉडल तालाब के निर्माण हेतु जारी गाइडलाईन की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त समस्त उल्लेखित बिन्दुओं को **कुलपति समन्वय समिति बैठक के स्थायी एजेण्डा में एतद द्वारा शामिल किया जाता है तथा आगामी कुलपति समन्वय समिति बैठक मे इस परिपत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा की जायेगी।**

कृपया परिपत्र की प्राप्ति प्रेषित करावें।

4.7.18

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(**देबाशीष पृष्टी**)
सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(30)आरबी/2018/5398 दिनांक 04 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीया मंत्री, उच्च एवं तकनीकी, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, रोजगार, कौशल एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास, युवा मामलात एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
13. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. .प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
16. शासन सचिव, श्रम रोजगार, कौशल एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
18. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान को इस निर्देश के साथ कि परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावें।
19. निदेशक, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ एवं विशिष्ठ सचिव राज्यपाल, राजभवन जयपुर।
20. उप सचिव (द्वितीय), राज भवन, जयपुर को उक्त परिपत्र राजभवन वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित है।
21. सहायक निदेशक (सूचना एवं जन संपर्क) राजभवन, जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली

प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा

मनरेगा योजना में अभिनव पहल – तालाबों का सुदृढ़ीकरण

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः एफ 40(65)ग्रावि/नरेगा/प. जलाशय/2014 जयपुर, दिनांक : 02 JUN 2014

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :– **अभिनव पहल के रूप में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 परम्परागत जल स्रोत को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधिकांश ग्रा.पं. में परम्परागत जल स्रोत के रूप में जलाशय/तालाब/तलाई/नाड़ी आदि विद्यमान हैं एवं इन जल स्रोतों पर ग्रामीण जनता एवं मवेशियों की निर्भरता बहुत अधिक होती है। ऐसे पारम्परिक जल स्रोतों को और उपयोगी बनाने, स्थानीय सौन्दर्यीकरण एवं दीर्घायु बनाने हेतु ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है।

अतः अभिनव पहल के रूप में वर्ष 2014–15 से मनरेगा योजनान्तर्गत **यथा सम्भव प्रत्येक ग्रा.पं. में कम से कम 1 परम्परागत जल स्रोतों को मॉडल के रूप में इस प्रकार विकसित किया जावें कि ग्रामीण जनता के हितार्थ एवं क्षेत्र के विकास हेतु इनका सुदृढीकरण करते हुए दीर्घायु बनाने एवं इनका सौन्दर्यीकरण किया जा सकें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छा माहोल उत्पन्न करने के साथ–2 इनकी पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित हो सके। श्रम सामग्री अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए एक से अधिक मॉडल तालाब भी विकसित किये जा सकते है।**

वर्ष 2014–15 के दौरान मनरेगा योजनान्तर्गत उक्त अभिनव पहल की क्रियान्विती प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट–1 (प्रस्तावित कार्यवाही सूचनात्मक है, आवश्यकता होने पर इससे अधिक कार्य भी सम्पादित किये जा सकेंगे, इस बाबत निर्णय करने हेतु आप पूर्ण रूपेण अधिकृत हैं) पर संलग्न कर निर्देश दिये जाते हैं कि इन की क्रियान्विती सुनिश्चित करावें। आवश्यक होने वर्ष 2015–16 एवं आगे भी इस पहल को लगातार जारी रखा जा सकेगा। **इस पहल का मकसद यह है** कि 1 वर्ष पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत में अच्छी तरह एवं सुन्दर रूप से विकसित कम से कम 1 परम्परागत जल स्रोत उपलब्ध हो सके। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी, सुझाव आदि के लिए श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियंता, ईजीएस से दूरभाष नं. 0141–2227287, 9530306136 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आप से अनुरोध है आप द्वारा इस पहल की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जावे तथा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह सूचना mmnregs@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावे। **आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस अभिनव पहल बाबत आपके सफल नेतृत्व में हम ग्रामीण आधारभूत ढ़ांचा मजबूत एवं सौन्दर्यीकरण करने में निश्चित रूप से सफल होंगे।**

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महो., ग्रावि परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. निजी सहायक, आयुक्त, ईजीएस।
5. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त समस्त।
6. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं सीईओ जि.प., समस्त।
7. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस समस्त।
8. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण को प्रेषित कर निवेदन है कि जिलों में भ्रमण के दौरान उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही की समीक्षा करने का श्रम करावे।
9. XEn (V) कार्यालय हाजा को इस गतिविधि की मॉनीटरिंग हेतु नरेगा सॉफ्ट में आवश्यक प्रावधान कराने हेतु।
10. सहायक निदेशक, आई.ई.सी., कार्यालय हाजा को प्रचार–प्रसार हेतु।
11. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
12. एमआईएस मैनेजर, कार्या. हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने व उपरोक्त समस्त को मेल करने हेतु।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियंता, ईजीएस

अभिनव पहल के रूप में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 परम्परागत जल स्रोतों को मॉडल/दर्शनिक तालाब के रूप में विकसित करने बाबत।

(अ) जलाशय/तालाब/तलाई का चयन :– पंचायत क्षेत्र के ऐसे दो बड़े तालाबो का चयन किया जावे जिसमें

(i) लगभग वर्ष के दौरान सर्वाधिक अवधि तक पानी रहता है,

(ii) तालाब में पानी भराव की क्षमता एवं पानी आवक अच्छी है,

(iii) ग्रामीण जनता की तालाब एवं इसके पानी पर निर्भरता अधिक रहती है।

अपग्रेडेशन – वर्तमान में कुछ ऐसे तालाब भी होंगे, जिनमें उपरोक्तानुसार अपेक्षित कुछ कार्य किये हुए है, को भी अपग्रेड कर वर्तमान विषय के अनुसार परिवर्तित किया जावे।

(ब) मॉडल तालाब बनाने हेतु किये जाने वाले कार्य :–

1. **भराव क्षमता में वृद्धि–**

(अ) उपरोक्तानुसार चयनित जलाशय/तालाब/तलाई को वर्षा जल आवक एवं स्थान की उपलब्धता के अनुसार और बड़ा बनाया जा सकता है। अतः बड़े जलग्रहण क्षेत्र (Water Catchment area) वाले तालाबों/जलाशयों को प्राथमिकता दी जावे।

(ब) व्यवस्थित रूप से खुदाई करना– तालाब के भराव क्षेत्र के अन्दर की तरफ मिट्टी खुदाई व्यवस्थित रूप से की जावे। तालाब के मुख्य स्थान पर और अधिक भराव क्षमता में वृद्धि हेतु तालाब की पाल से कम से कम 10 से 15 फिट जगह छोड़कर इस प्रकार किया जावे कि सर्वाधिक पानी एकत्रित हो एवं एकत्रित पानी की अन्तिम बून्द का सदुपयोग किया जा सके। मिट्टी खुदाई के दौरान पूर्व के छोटे–बड़े अव्यस्थित गड्डो को एकरूप किया जावे ताकि तालाब में पानी अलग–2 गड्डो में भरने के स्थान पर एक ही जगह पर भरा रह सके एवं मवेशियों आदि को असुविधा न हो।

(स) पानी की आवक बढ़ाना– तालाब के आसपास के दूरस्थ क्षेत्र के वर्षा जल को इस तालाब में लाने हेतु टोपोग्राफी के अनुसार आवश्यक होने पर पानी आवक हेतु कम गहराई की कच्ची नहर (नाली) भी बनाई जा सकेगी। कैचमेंट एरिया में आ रही अस्थाई बाधाओं, संरचनाओं को भी अनिवार्य रूप से हटाया जावे। इस बाबत राजस्व अधिकारियों का सहयोग प्राथमिकता से लिया जावे। गांव के आसपास भरने वाले वर्षा जल को भी कच्ची/पक्की नाली/नाला के माध्यम से तालाब तक लाया जा सकेगा।

(द) पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी/सिल्ट को रोकना – कैचमैंट क्षेत्र से बहकर आने वाले पानी में मिली हुई मिट्टी/सिल्ट को रोकने के लिए लूज स्टोन चैकडैम का निर्माण भी किया जा सकेगा।

2. **पाल की मजबूती–**

(अ) मिट्टी की पाल की एकरूपता – खुदी हुई मिट्टी को तालाब के डोले/पाल पर अन्दर एवं बाहर (U/S and D/S) इस तरह डाली जावे कि सम्पूर्ण पाल एक निर्धारित ढ़ाल एवं एकरूपता में नजर आवे। पाल पर डाली गई मिट्टी को हस्त

दुरमुट अथवा मैकेनीकल कॉम्पेक्टर से अच्छी तरह कूटा जावे। पाल पर कोई भी मोटे ढेले आदि नहीं होने चाहिए। यथा सम्भव तालाब की पाल का ढाल U/S में 2.5 : 1 एवं D/S पर 2 : 1 बनाया जावे।

(ब) **पिचिंग एवं फेसवाल** – तालाब की पाल में जहां पानी सीपेज की संभावना है अथवा जहां पर पानी का दबाव सर्वाधिक है, पाल के आन्तरिक हिस्से (U/S) में पानी के अधिकतम भराव स्तर से 2 फिट ऊपर तक फेसवाल का निर्माण किया जावे एवं फेसवाल की लम्बाई को छोड़कर शेष लम्बाई में टोवाल का निर्माण कर पाल की ढलवा सतह पर पत्थरों से पिचिंग की जा सकेगी।

(स) मिट्टी के बण्ड के टोप का पानी पिचिंग में घुसकर क्षतिग्रस्त न हो पावे, इससे बचाव हेतु पाल की ढलवा सतह पर 6 मीटर के अन्तराल पर 2 X 1 फीट की स्लोपिंग विड्थ में नाली बनाने का कार्य सीमेन्ट मसाले में किया जावे।

उपरोक्त प्रस्तावित तकनीकी मापदण्डों में अन्तिम निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सक्षम अभियंता द्वारा किये जा सकेंगे।

3. **पाल की चौड़ाई**– यथा सम्भव पाल के ऊपरी सतह की चौड़ाई अधिकतम एवं लगभग एक समान चौड़ी रखी जावे ताकि इस पर सहजता से पैदल भ्रमण किया जा सके। आवश्यक होने पर टोप में ग्रेवल भी डाला जा सकता है।

4. **मवेशियों हेतु सुविधा**– तालाब की पाल के एक अथवा दोनों छोर की तरफ 12–15 फिट चौड़ाई में पत्थरों की पिचिंग (ढालदार खुर्रा) अनिवार्य रूप से की जावे ताकि पानी पीने के लिए पशु इस रास्ते से तालाब में आसानी से उतर सके।

5. **भराव क्षमता का आंकलन/प्रदर्शन**– तालाब में अधिकतम भराव क्षमता के आंकलन/प्रदर्शन हेतु एक गेज भी बनाया जावे ताकि तालाब में पानी की गहराई एवं मात्रा का पता चल सके।

6. **अतिरिक्त पानी की निकासी**– यथा सम्भव यह प्रयास किया जावे कि तालाब की क्षमता इतनी हो कि अतिरिक्त पानी निकास की स्थिति ही उत्पन्न न हो। यदि अतिरिक्त पानी का निकास अनिवार्य हो तो अतिरिक्त पानी के निकास की समुचित व्यवस्था की जावे, आवश्यक होने पर डिजाईन कर स्पिल वे (वैस्ट वियर) बनाया जावे, परन्तु अतिरिक्त पानी के संरक्षण बाबत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे।

7. **वृक्षारोपण– तालाब के अन्दर के भराव क्षेत्र** से तत्काल बाद की भूमि में एक या एक से अधिक पंक्तियों में तथा तालाब की D/S पाल के किनारे पर चारो तरफ छायादार पौधों का रोपण कार्य किया जावे एवं स्थानीय सामग्री यथा लकड़ियों या कांटेदार झाड़ियो का ट्रीगार्ड लगाया जावे। **पेड़ों के 5 वर्ष तक रखरखाव की पूर्ण कार्य योजना सुनिश्चित की जावे।**

वृक्षों का चयन– बड़े छायादार, मौसम की अनुकूलता एवं दीर्घायु वाले पौधे जैसे नीम, करंज, पीपल, बरगद, आम आदि रोपित किये जावें। यथा सम्भव राजकीय नर्सरियों से ही वृक्ष क्रय/प्राप्त किये जावे। **इस बाबत आवश्यक मार्गदर्शन कृषि/वन विभाग से लिया जा सकता है।** कम रखरखाव, कम पानी की मांग वाले पेड़ों को प्राथमिकता दी जावे।

वृक्षों की संख्या– स्थान की उपलब्धता के अनुसार अधिकतम संख्या में वृक्षारोपण का कार्य किया जावे अर्थात् किसी भी तालाब के आसपास में अधिकतम वृक्षारोपण की कोई सीमा नहीं है। पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने पर एक से अधिक पंक्तियों (Rows) में भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। पौधों के मध्य की न्यूनतम अनिवार्य दूरी रखी जावे।

8. **पक्का चबूतरा–** तालाब के पास स्थित बड़े वृक्ष के नीचे 1 अथवा 2 चबूतरा भी बनाया जावे, जहां पर ग्रामीण जनता बैठ कर मिटिंग आदि के साथ प्राकृतिक सुन्दरता का लाभ ले सके।

9. **पक्का घाट–** नहाने, कपड़े धोने आदि की सुविधा हेतु तालाब में एक एक अथवा दो (उपयोगिता के अनुसार) पक्के घाट का निर्माण भी किया जावे ताकि ग्रामवासियों द्वारा जल का उपयोग सहजता से किया जा सके। पूर्व से निर्मित घाट की मरम्मत भी की जा सकती है।

(स) कार्य निष्पादन/स्वीकृति– उपरोक्तानुसार चयनित कार्य मनरेगा की वर्ष 2014–15 की कार्य योजना में नहीं होने की स्थिति में पूरक कार्य योजना में शामिल किया जाकर तत्काल स्वीकृत किया जा सकता है। पूर्व से स्वीकृत कार्यों के तकमीनों में उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रावधान करते हुए तदनुसार संशोधित स्वीकृति भी प्राथमिकता से जारी की जा सकती है। स्वीकृति संशोधन के अभाव में कार्यों की प्रगति बन्द नहीं की जावे। कार्यों का निष्पादन महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तर्ज पर तालाब विकसित करने का कार्य वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया जावे। सर्व प्रथम पानी आवक बढ़ाने एवं तालाब को गहरा करने का कार्य यथा सम्भव मानसून से पूर्व कर लिया जावे। ग्रा.पं. के प्रत्येक तालाब को यथा सम्भव मॉडल के रूप में विकसित होने तक यह कार्यवाही आगामी वर्षों में भी सम्पादित की जावेगी। सामग्री अनुपात के सन्धारण हेतु वर्ष के अन्त में अतिरिक्त राशि अन्य योजनाओं से **कन्वर्जेन्स** से वहन की जा सकेगी।

कार्यकारी संस्था – कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत अथवा जल संसाधन विभाग को बनाया जा सकेगा। रोपित वृक्ष राजकीय परिसम्पत्ति है, किसी भी व्यक्ति द्वारा शरारतपूर्ण कार्यवाही कर पौधों को नुकसान पहुँचाने पर उसके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही कार्यकारी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

प्रत्येक कार्य का वास्तविक अधिकतम आवश्यकता के अनुसार मौका निरीक्षण कर विस्तृत तकमीना तैयार किया जावेग एवं सक्षम अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जावेगी। एस्टिमेट की प्रति मुख्यालय को ई–मेल से प्रेषित की जावे।

(द) समीक्षा, नोडल अधिकारी, प्रचार–प्रसार, पुरस्कार आदि।

(i) **समीक्षा– जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा** इस गतिविधि की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जावे। जिला स्तर से निम्न प्रपत्र में प्रत्येक माह सूचना E-mail: mmnregs@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करावे–

माह : .....

नोडल प्रभारी अधिकारी का नाम, पद नाम एवं मोबाईल नं.: .....

डीपीसी द्वारा समीक्षा दिनांक:.....(बैठक कार्यवाही विवरण की प्रगति संलग्न की जावे)

क्र. सं.	जिला	ग्रा.पं. की संख्या जिनमें मॉडल तालाब विकसित करने का कार्य स्वीकृत किया गया है	स्वीकृत /चयनित मॉडल तालाबों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	प्रारम्भ कार्यों की संख्या (कॉलम सं. 4 में से)	पूर्ण कार्यों की संख्या (कॉलम सं. 6 में से)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	योग						

(i) **नोडल–** उपरोक्त समस्त कार्यवाही निष्पादन एवं मॉनीटरिंग हेतु पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित तालाबों के रखरखाव हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा हस्तान्तरित सहायक/अधिशाषी अभियंता को प्राथमिकता से जिला स्तर पर इस गतिविधि के क्रियान्वयन का नोडल प्रभारी बनाया जावे। प्रत्येक कार्य का प्रारम्भ से पूर्व, प्रगति के दौरान एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ अवश्य लिया जावे।

(ii) **प्रचार–प्रसार–** ऐसे तालाबो के फोटोग्राफ्स, सफलता की कहानियां आदि का प्रकाशन एवं प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि ग्रामीण आधारभूत संरचना को पर्यटन के रूप में बढावा मिल सके। नोडल प्रभारी के निर्देशन में यह कार्य **आईईसी समन्वयक नरेगा** द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। प्रत्येक तालाब का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से लिया जावे। इसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फोटोग्राफ लिये जावे।

(iii) **पुरस्कार–** इस अभिनव पहल में जिले में अच्छा कार्य करने वाली एक पं.स. एवं प्रत्येक पं.स. की एक ग्रा.पं. को जिला स्तर से पुरस्कृत किया जावे। राज्य स्तर से 3 जिलों एवं प्रत्येक जिले से एक पं.स. को पुरस्कृत किया जावेगा। प्रति पंचायत विकसित किये गये तालाबों की संख्या के **प्रतिशत** आधार पर चयन किया जावेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण पृथक से भिजवाया जावेगा।

(iv) **विशेष–** मकसद यह है कि 1 वर्ष पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 अच्छी तरह से विकसित परम्परागत जल स्रोत उपलब्ध हो सके। एक मॉडल तालाब हेतु उपरोक्त प्रस्तावित कार्यवाही सूचनात्मक है। आवश्यकता होने पर इस पहल को आगामी वर्षों में भी लगातार जारी रखते हुए और भी अधिक कार्य सम्पादित किये जा सकेंगे। **यह सुनिश्चित करने** हेतु किसी भी प्रकार के निर्णय हेतु आप पूर्णरूपेण अधिकृत है। **इस गतिविधि**/पहल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपके सुझाव मुख्यालय को **E-mail: mmnregs@gmail.com** पर भिजवाने का श्रम करावे, ताकि अन्य जिलों को भी **इनसे सूचित किया** जा सके। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियंता, ईजीएस से दूरभाष नं. 0141–2227287, 9530306136 पर सम्पर्क किया जा सकता है।